



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1979/श्रावण 6, 1901
No. 311] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1979/SRAVANA 6, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1979

क्र. आ. 442(अ).—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रक और अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के उपनियम (2) द्वारा पदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. क्र. आ. 603(ई), तारीख 9 अक्टूबर, 1974 को अधिसूचित करते हुए, आदेश करते हैं कि श्री एस. आर. वास, उप महाप्रबन्धक, नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता, जो भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी भी हैं, साम्प्रान्त केन्द्रीय सेवा

वर्ग 2, साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 और साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 में सम्मिलित केन्द्रीय सिविल पदों पर नियुक्त ऐसे व्यक्तियों की बाबत, जो उस कम्पनी में बाह्य सेवा में हैं, उक्त नियमों के नियम 11 के खंड (1) से (4) में विनिर्दिष्ट शक्तियों को अधिरोपित करने के लिए अनुशासन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

[फ. सं. आई. एम. ई.-32(2)/79]

बी. आर. आर. आयंगर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1979

S.O. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 12 of the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 603(E) dated the 9th October, 1974, the President hereby orders that Shri S. R. Das, Deputy General Manager, National Instruments Limited, Calcutta, who is also an Officer on Special Duty in the Government of India, in the Ministry of Industry shall act as the disciplinary authority for imposing the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11 of the said Rules, in respect of the persons appointed to Central Civil Posts included in the General Central Service Class II, General Central Service Class III and General Central Service Class IV who are on foreign service to that Company.

[F. No. IME-32(2)/79]

B. R. R. IYENGAR, Jt. Secy.